रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 1987/बैसाख 11, 1909
No. 217] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 1987/VAISAKHA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1987

आदेश

का. आ. 456(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 (1976 का 49) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ बैंक आफिसर्स ऑरगेनाईजेशन्स, पन्दयान हाउस, फरेरी रोड, बम्बई 400038 (जिसके अंतर्गत इसकी शाखाएं और इकाइयां भी हैं) को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "राजनतिक प्रकृति का संगठन जो राजनैतिक दल नहीं है" के रूप में विनिर्दिष्ट है।

[संख्या II/21022/7/97/86 एफ. सी. आर. ए. I]

अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th April, 1987

ORDER

S.O. 456(E).—In exercise of the powers conferred by the Explanation to sub-section (1) of section 5 of Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976), the Central Government hereby specify the All India Confederation of Bank Officer' Organisations, Pandyan House, Frere Road, Bombay-400038 (including its branches and units) to be "an organisation of a political nature, not being a political party" for the purpose of the said section.

[No. II|21022|7(97)|86-FCRA-I]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987